



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97]
No. 97]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 7, 2005/फाल्गुन 16, 1926
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 7, 2005/PHALGUNA 16, 1926

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2005

सा.का.नि. 158(अ) — केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के गठन और कृत्यों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र नियम, 2004 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) “अधिनियम” से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है ;
(ख) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं उनके वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।
3. राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र का गठन - (1) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र में विद्युत के अधिकतम निर्धारण और प्रेषण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के नाम से ज्ञात एक केन्द्र होगा।
(2) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र नई दिल्ली में स्थित होगा इसका पूर्तिकर केन्द्र कोलकाता में होगा।
4. राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के कृत्य - राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र एक शीर्ष निकाय होगा, जो राष्ट्रीय विद्युत प्रणाली के एकीकृत प्रचालन को सुनिश्चित और निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :-
(क) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों का पर्यवेक्षण ;

- (ख) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड मानकों के अनुसरण में अंतर प्रादेशिक लिंकों पर विद्युत के निर्धारण और प्रेषण तथा क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों के साथ समन्वय में केन्द्रीय आयोग के द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड का निर्धारण और प्रेषण ;
- (ग) राष्ट्रीय ग्रिड के प्रचालन में अधिकतम मितव्ययिता और दक्षता प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय भार प्रेषण केन्द्रों के साथ समन्वय ;
- (घ) राष्ट्रीय ग्रिड के प्रचालन और ग्रिड सुरक्षा की मानीटरिंग ;
- (ङ) अपनी नियंत्रण विद्युत प्रणाली की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए जिसकी अपेक्षा की जाए अंतर प्रादेशिक लिंकों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण ;
- (च) विद्युत साधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रादेशिक वहिंरंश के लिए प्रादेशिक विद्युत समितियों के साथ समन्वय ;
- (छ) विद्युत के विनिमय के लिए अंतर प्रादेशिक विद्युत लेखाओं के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के साथ समन्वय ;
- (ज) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के साथ राष्ट्रीय ग्रिड प्रचालनों के तुल्यकालत्व के पुनर्स्थापन के लिए समन्वय ;
- (झ) विद्युत के अंतर-राष्ट्रीय विनिमय के लिए समन्वय ;
- (ञ) प्राधिकरण और केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता को राष्ट्रीय ग्रिड योजना के लिए प्रचालन पुनर्निवेशन देना ;
- (ट) विद्युत प्रणाली में उत्पादक कंपनियों या उसमें लगे हुए अनुज्ञप्तिधारकों से, केन्द्रीय कमीशन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी फीस और प्रभारों का उद्ग्रहण और उनका संग्रहण करना ;
- (ठ) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों या विनियमों के अनुसरण में पारेषण प्रणाली के प्रचालन में संबंधित सूचना का प्रकीर्णन करना ।

[फा. सं. 23/24/2003-आर एंड आर]

अजय शंकर, अतिरिक्त सचिव

**MINISTRY OF POWER
NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd March, 2005

G.S.R. 158(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules regarding the constitution and functions of the National Load Despatch Centre, namely:—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the National Load Despatch Centre Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — (1) In these rules unless the context otherwise requires, -

(a) “Act” means the Electricity Act, 2003;

(b) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Constitution of National Load Despatch Centre.- (1) There shall be a centre at the national level to be known as National Load Despatch Centre for optimum scheduling and despatch of electricity among the Regional Load Despatch Centres.

(2) The National Load Despatch Centre shall be located at New Delhi with a back up at its centre in Kolkata.

4. Functions of National Load Despatch Centre.- The National Load Despatch Centre shall be the apex body to ensure integrated operation of the national power system and shall discharge the following functions, namely:-

- (a) supervision over the Regional Load Despatch Centres;
- (b) scheduling and despatch of electricity over inter-regional links in accordance with grid standards specified by the Authority and grid code specified by Central Commission in coordination with Regional Load Despatch Centres;
- (c) coordination with Regional Load Despatch Centres for achieving maximum economy and efficiency in the operation of National Grid;
- (d) monitoring of operations and grid security of the National Grid;
- (e) supervision and control over the inter-regional links as may be required for ensuring stability of the power system under its control;
- (f) coordination with Regional Power Committees for regional outage schedule in the national perspective to ensure optimal utilization of power resources;
- (g) coordination with Regional Load Despatch Centres for the energy accounting of inter-regional exchange of power;
- (h) coordination for restoration of synchronous operation of national grid with Regional Load Despatch Centres;
- (i) coordination for trans-national exchange of power;
- (j) providing operational feed back for national grid planning to the Authority and the Central Transmission Utility;
- (k) levy and collection of such fee and charges from the generating companies or licensees involved in the power system, as may be specified by the Central Commission.
- (l) dissemination of information relating to operations of transmission system in accordance with directions or regulations issued by Central Electricity Regulatory Commission and the Central Government from time to time.

[F. No. 23/24/2003-R&R]

AJAY SHANKAR, Addl. Secy.